

अध्याय ॥

शुल्क छूट/माफी योजनाएं

सरकार अधिसूचना द्वारा निर्यात संवर्धन के अंतर्गत इनपुटों और पूँजीगत माल को आयात करने के लिए सीमाशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। ऐसी छूट प्राप्त माल के आयातकों को कुछ निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के लिए वचन देना होता है जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उद्ग्राह्य होती है। अप्रैल 2007 से मार्च 2013 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2011 से दिसम्बर 2013) के दौरान कुछ निदर्शी मामले देखे गए जहां निर्यात बाध्यता/शर्तों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ उठाया गया था जिन पर निम्नांकित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन मामलों में कुल राजस्व प्रभाव ₹ 139.06 करोड़ है।

2.1 मानित निर्यात लाभ के अमान्य भुगतान

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.2(घ) में प्रावधान है कि उन एजेंसियों/निधियों, जहां सीमा-शुल्क सम्मिलित किये बिना निविदा मूल्यांकन के लिये कानूनी करार का प्रावधान है की प्रक्रिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के अंतर्गत, आर्थिक मामलों विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति मानित निर्यात के रूप में माना जाता है और डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मानित निर्यात लाभ पाने के हकदार है। आईसीबी पर दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि मूल्यांकन में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और कोई अन्य समान कर शामिल नहीं होने चाहिए।

भारतीय के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजमार्ग आदि के निर्माण, पुनर्वास और उन्नयन से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिये संविदाकारों को संविदाएँ प्रदान की। अनुबंध करार का भाग बनाने वाले बोलीकर्ताओं को अनुदेशों के खण्ड 14.3 के अनुसार, संविदा या किसी भी अन्य कारण के अंतर्गत संविदाकार द्वारा अन्य देय शुल्क और सभी शुल्क/कर बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से 28 दिन पूर्व की तिथि को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत कुल बोली मूल्य और दरों और मूल्य में शामिल होना चाहिए और

नियोक्ता द्वारा बोलियों का मूल्यांकन और तुलना तदनुसार की जानी चाहिये। इसका तात्पर्य है कि अनुबंध मूल्य में परियोजना के लिये खपत कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क के घटक शामिल होते हैं।

कार्यालय, अपर महानिर्देशक, विदेश व्यापार, नई दिल्ली द्वारा लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध कराई गई 2007-08 से 2010-11 की अवधि के लिये मानित निर्यात दावा करने वाली फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनएचएआई ने संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को विनियमित भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी ने उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिये उनके द्वारा उपयोग किये गये सामग्री के संबंध में मानित निर्यात लाभ के रूप में इन संविदाकारों को ₹ 34.50 करोड़ की भी प्रतिपूर्ति की। इसके परिणामस्वरूप संविदाकारों को शुल्क का दोहरा लाभ हुआ अर्थात्, शुल्क सहित एनएचएआई से प्राप्त भुगतान के साथ-साथ कार्यालय अपर डीजीएफटी से मानित निर्यात लाभ की प्रतिपूर्ति के माध्यम से।

अपर महानिर्देशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य कौर उद्योग मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2013) कि इस मुद्दे की नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) ने अपनी 07 अक्टूबर 2002 को आयोजित बैठक में जांच की है और यह पीआईसी द्वारा स्पष्ट किया गया था कि इन फर्मों को मानित निर्यात लाभ के लिये इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा केवल एक बार शुल्क की वापसी की जाती है और वापसी में कोई दोहराव नहीं है। यदि आपूर्तियों को मानित निर्यात के रूप में वर्गीकृत किया जाये तो वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क को वापस किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, एफटीपी का पैराग्राफ 2.3 स्पष्ट रूप से बताता है कि नीति की व्याख्या से संबंधित मामले पर, डीजीएफटी का निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा। इसलिए, डीजीएफटी द्वारा यह निर्णय क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया था।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्य का संविदा मूल्य आईसीबी संविदाओं के दिशानिर्देशों के प्रति सभी शुल्कों और करों सहित था। इसके अतिरिक्त, उस ही संविदाकार को परियोजना प्राधिकारी द्वारा शुल्क के भुगतान के बावजूद इन मामलों में संविदाकारों को मानित निर्यात

लाभ की वापसी की अनुमति का पीआईसी का निर्णय गलत था। इस प्रकार, विभाग द्वारा संविदाकार को ₹ 34.50 करोड़ के मानित निर्यात का अनुदान अमान्य था।

महानिदेशक विदेश व्यापार, नई दिल्ली ने दिसम्बर 2013 में कहा कि मुख्यालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) का उत्तर यथासमय भेजा जायेगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

2.2 अग्रिम प्राधिकार योजना

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी (आरएलए), हैदराबाद ने निर्यात दायित्व को पूरा न करने के लिये छोड़े गये शुल्क की वसूली नहीं की।

2.2.1 विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार, अग्रिम प्राधिकार (एएज), तैयार उत्पाद के निर्माण और निर्यात के लिये, कच्चे माल को मानक इनपुट/आउटपुट मानदंडों (एसआईएन) में निर्धारित इस मात्रा अनुसार शुल्क मुक्त आयात के लिये जारी किये जाते हैं।

प्रक्रिया की पुस्तिका (एचबीपी), खण्ड-I 2004-09, के पैराग्राफ 4.22 के अनुसार, अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात दायित्वों को 36 महीनों की अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा और एक वर्ष का अतिरिक्त विस्तार अनुमत है। यदि निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा नहीं किया जाता है, लाइसेंसधारक नियमितीकरण के लिए आयातित सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर ब्याज सहित सीमा शुल्क (एचबीपी के पैराग्राफ 4.28) का सीमा शुल्क प्राधिकारी को भुगतान करेगा।

मै. बीएचईएल, को जेडीपीएफटी, हैदराबाद द्वारा ₹ 547.08 करोड़ मूल्य के सी.आई.एफ. (लागत, बीमा, मालभाड़ा) मूल्य के लिये अग्रिम लाइसेंस (मई 2009) जारी किया गया था। लाइसेंस धारक ने 'फ्लैन्ज टू फ्लैन्ज गैस टर्बाइन आयात' (जून 2000) किया और छोड़ा गया शुल्क ₹ 26.66 करोड़ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि निर्यात बाध्यता की अवधि को मार्च 2012 में पूरी हो गई थी फिर भी न तो निर्धारिती ने ईओ को पूरा किया और न ही उसी के लिए कोई वृद्धि की मांग की। तदनुसार लाइसेंसधारी से ₹ 26.66 करोड़ का शुल्क वसूल किया जाना था।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (2013) कि आरएलए को मामले को बीएचईएल के साथ निपटाने का सुझाव दिया गया है। डीजीएफटी, नई दिल्ली ने आगे कहा कि मामले को बीएचईएल, नोएडा के महाप्रबंधक (परियोजना) के भी सूचना में लाया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी कोलकाता ने ईओ पूरा न करने के लिए शुल्क की वसूली नहीं की।

2.2.2 एचबीपी के पैराग्राफ 4.24 के अनुसार लाइसेंसी को ईओ अवधि समाप्त होने की तिथि से दो महीनों के भीतर ईओ के निर्वहन के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। ईओ पूरा करने में विफल होने के मामले में लाइसेंसी को अनुप्रयुक्त आयातित सामानों पर ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा।

मै. भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, कोलकाता को क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए) कोलकाता द्वारा ₹ 140.66 करोड़ की 40002 मी.टन 'कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड नान एलायस्टील सीट्स एण्ड वाइड क्वाइल्स' के निर्यात के उत्तरदायित्व के साथ ₹ 99.88 करोड़ मूल्य के 'कच्चे माल' के शुल्क मुक्त आयात के लिए एक शुल्क मुक्त आयात अनुज्ञासि (डीएफआईए) लाइसेंस जारी किया गया (अप्रैल 2007)। सीमाशुल्क (पत्तन) आयुक्तालय, कोलकाता के माध्यम से ₹ 10.40 करोड़ मूल्य के 735.691 मी.टन 'जिंक धातु' के आयात (जून 2007) के प्रति लाइसेंसधारक निर्धारित ईओ के प्रति ₹ 9.26 करोड़ मूल्य के केवल 2172.77 मी.टन माल का निर्यात किया (मार्च और अप्रैल 2007 के बीच) जिससे निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफलता हुई। मानक इनपुट आउटपुट मानकों (एसआईओएन) के अनुसार 2172.77 मी.टन निर्यात माल के गैल्वेनाइजेशन के लिए केवल 53.327 मी.टन जिंक (शिपिंग बिलों में विशेष प्रावधान के अभाव में 30-39 ग्राम/मीटर की न्यूनतम कोटिंग रेज को देखते हुए) की आवश्यकता थी। इस प्रकार, ईओ को पूरा करने में विफलता को विनियमित करने के लिए निर्धारिती से अधिक आयातित जिंक धातु (682.364 मी.टन) पर ₹ 2.10 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.69 करोड़ के सीमाशुल्क की वसूली की जानी थी।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (नवम्बर 2013) कि कंपनी ने स्टेटस होल्डर इंसेटिव स्कीम (एसएचआईएस) लाइसेंस डेबिट करते हुए तथा ₹ 1.89 करोड़ ब्याज का नकद भुगतान (मई 2012 एवं जनवरी 2013) करते हुए अधिक आयातित जिंक की मात्रा पर ₹ 2.12 करोड़ का सीमाशुल्क जमा किया था। तदनुसार विभाग ने मामले को विनियमित कर दिया था (फरवरी 2013)।

मिन्नता शुल्क की वसूली पर लेखापरीक्षा के प्रश्न के जवाब में डीजीएफटी, नई दिल्ली ने जिंक की वास्तविक खपत के लिए लाइसेंसधारक द्वारा दिये गए 10 वाणिज्यिक बीजकों की प्रतियां भेज दी (नवम्बर 2013)। भेजे गए बीजक के अवलोकन में यह पाया गया कि एक को छोड़कर सभी बीजक में या तो जिंक कोटिंग विशेषताएं नहीं थीं अथवा जेड-12 की विशेषता वाले थे अतः निर्यात उत्पाद में जिंक की की गई वास्तविक खपत दावे से बहुत कम थी। तदनुसार ₹ 56.69 लाख का बकाया सीमाशुल्क निर्धरिती से वसूली योग्य था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

आरएलए मदुरै ने गलत अग्रिम अनुजप्ति क्लब की थी जिससे लाइसेंसधारक को ₹ 18.51 लाख के शुल्क का लाभ हुआ।

2.2.3 प्रक्रिया की पुस्तिका (एचबीपी) भाग-1 (2004-09) के पैराग्राफ 4.20 के अनुसार अग्रिम अनुजप्ति (एए) धारक के पास आयात या निर्यात के लिए अनुजप्ति का आगे उपयोग किए बिना मोचन /विनयमन हेतु अनुजप्ति को जोड़ने की सुविधा है। जोड़ने की यह व्यवस्था एए(ज) के लिए केवल वहीं है जहाँ निर्यात उत्तरदायित्व को पूरा करने में कमी हो और जिसे आयात के लिए वैध एए के साथ जोड़ने की मांग की जाए। अनुजप्ति की आयात वैधता 24 माह है और निर्यात उत्तरदायित्व (ईओ) की पूर्ति 36 महीनों के भीतर की जानी है (विदेश व्यापार नीति का पैराग्राफ 2.12)

मै. मदुराकोट्स लिमिटेड ने अप्रैल 2009 में जारी किए गए दो अलग अलग एए को प्रत्येक मामले में जून/अगस्त 2005 तथा मई 2006 में जारी इसके तीन अन्य एए (ज) के साथ जोड़ने का आवेदन दिया (अगस्त और दिसम्बर 2010)। अनुजप्ति धारक ने कच्चे माल की पूरी मात्रा अर्थात पॉलिस्टर फिलामेंट धागा और पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर मुक्त शुल्क पर आयात किया लेकिन दोनों मामलों में अप्रैल 2009 में जारी एए के संबंध में पालिस्टर सिलाई धागे के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया। प्रत्येक मामले में जोड़ने के लिए मांगी गई जून/अगस्त 2005 और मई 2006 में जारी अन्य तीन अनुजप्तियों की आयात वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी सभी उन एए (ज) में निर्यात दायित्व अलग अलग पूरा किया गया था। हालांकि, जोड़ने को दोनों मामलों में सभी चार अनुजप्तियों को जोड़ा गया और गलत तरीके से छुड़ाया गया (जनवरी और दिसम्बर 2011)।

चूंकि जून/अगस्त 2005 और मई 2006 में जारी तीन एए(ज) जिसे अप्रैल 2009 में जारी एए के साथ जोड़ने की मांग की गई थी, आयातों के लिए वैध

नहीं थे, उन तीन एए (ज) को नहीं जोड़ा जा सकता था। इसके अलावा उन तीन एए(ज) के प्रति निर्यात दायित्व को पहले ही व्यक्तिगत रूप से पूरा कर लिया गया था। इओ के समाप्त होते ही सभी तीन एए(ज) जोड़ने के दोनों मामलों में अलग-अलग छोड़ा जाना चाहिए था। इन तीनों एए(ज) को जोड़ने की प्रक्रिया में शामिल करने का कोई कारण नहीं था। गलत तरीके से जोड़ने के कारण कच्चे माल अधिक आयात पर ₹ 18.51 लाख के सीमाशुल्क की गैरवसूली हुई।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा कि आरएलए, मुद्रौर के अनुसार अप्रैल 2009 के तारीख के लाइसेंस से जोड़ने के पश्चात इओ को पूरा कर लिया गया है और कोई अधिक आयात नहीं हुआ।

डीजीएफटी, नई दिल्ली के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि अग्रिम अनुज्ञित (ओं) को जोड़ना वहाँ अनुमत है जहाँ जोड़ने की मांग वाले अनुज्ञित और निर्यात दायित्व को पूरा करने में कमी हो, आयात के लिए वैध था। लेकिन मौजूदा मामले में चार अग्रिम अनुज्ञितियों में से जोड़े गए तीन अनुज्ञित आयात के लिए वैध नहीं थे। तदनुसार, ये तीनों लाइसेंस जोड़ने के योग्य नहीं थे।

2.3 निर्यात उन्मुख यूनिट (ईओयूज) /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र(ईपीजेडज)

निर्धारण अधिकारियों ने 'पॉलीप्रोपलीन(पीपी)' आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क की उगाही नहीं की

2.3.1 ओमान, सऊदी अरब और सिंगापुर से 'पॉलीप्रोपलीन(पीपी)' के निर्यात पर दिनांक 30 जुलाई 2009 की अधिसूचना संख्या 82/09 –सीमाशुल्क के तहत निर्धारण दर पर अस्थायी एंटी डंपिंग शुल्क लागू होता है। तदनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अस्थायी एडीडी लागू करने की तिथि अर्थात 30 जुलाई 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ऐसे आयातों पर दिनांक 19 नवम्बर 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010 सीमाशुल्क द्वारा 322.57 यूएस डालर /मी.टन की दर पर निश्चित एडीडी लगाया गया था। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 की धारा 30(ए) की शर्तों के अनुसार सेज से घरेलू टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत जहाँ भी यह लागू होगा एंटी डंपिंग शुल्क सहित सीमाशुल्क प्रभारित होगा, जैसाकि आयातित ऐसे माल पर उगाही योग्य होगा।

मै. साई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलकाता (पत्तन), चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालय और आईसीडी दादरी के माध्यम से आयातित 'पॉलीप्रोपलीन'

(सीटीएच 39021000) के 50 खेप संहिता के प्रावधनों के विपरीत क्षेत्रीय विकास आयुक्त (जेडडीसी), पूर्वी क्षेत्र के तहत संचालित एक एफसेज तथा छ: अन्य को एंटी डंपिंग शुल्क के बिना मंजूरी दे दी गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.41 करोड़ के एंटी डंपिंग शुल्क की गैर उगाही हुई।

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (एयरपोर्ट एवं प्रशासन) कोलकाता ने मै. साईं इंडस्ट्रीज के संबंध में ₹ 18.83 लाख की माँग की पुष्टि की (जुलाई 2013)। अन्य आयातकों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने डीटीए मंजूरी पर प्रतिकारी शुल्क की वसूली नहीं की।

2.3.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधान (1) के अनुसार धारा 5ए के अंतर्गत जारी शुल्क छूट अधिसूचनाओं के लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में उत्पादित या निर्मित और भारत में किसी भी जगह मंजूर उत्पाद शुल्क योग्य माल पर लागू नहीं होंगे जब तक कि कथित छूट अधिसूचना में सेज से ऐसी मंजूरी से छूट के लाभ के विस्तार हेतु विशेष प्रावधन न किया गया हो।

क्षेत्रीय विकास आयुक्त (जेडडीसी), पूर्वी क्षेत्र के नियंत्रणाधीन तीन फाल्टा सेज यूनिटों अर्थात्, मै. वेबसोल एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मैं विक्रम सोलर प्रा. लि. तथा मै. गुप्ता इंफोटेक ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के तहत जारी दिनांक 1 मार्च 2006 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 6/2006 –सीई के तहत भारत में निर्मित अपने उत्पादों की मंजूरी (वि.व. 2010-11) पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) से छूट प्राप्त किया जिसमें सेज यूनिटों में निर्मित और डीटीए में मंजूर माल पर शुल्क का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, उल्लिखित बिक्री पर ₹ 4.22 करोड़ तक की सीवीडी छूट की मंजूरी गलत थी क्योंकि यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधन(1) का उल्लंघन था।

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, एफसेज फाल्टा ने लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध करते हुए कहा (जुलाई 2013) कि प्रतिकारी शुल्क जिसे आयात शुल्क पर गणना करने हेतु लिया गया है यह भारत में निर्मित माल पर लगाये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से भिन्न है। तदनुसार लेखापरीक्षा ने यूनिट द्वारा डीटीए बिक्री पर सीवीडी छूट लाभ की गलत आपत्ति की।

आगे कहा गया कि माल को सेज से डीटीए को हटाने के लिए सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 का प्रावधन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए से अधिक महत्वपूर्ण होगा और ऐसे माल पर सीमाशुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत एंटी डंपिंग, प्रतिकारी और सेफगार्ड शुल्क सहित सीमाशुल्क प्रभार्य होगा जैसा कि आयात किए गए ऐसे माल पर वसूली योग्य हो। चूंकि सेज 'विदेशी राज्य क्षेत्र' माना जाता है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए को सेज यूनिट द्वारा डीटीए बिक्री पर लागू नहीं किया जा सकता।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) में सीवीडी को 'भारत में निर्मित या उत्पादित जैसी वस्तु पर समय के साथ वसूली योग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क' के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तदनुसार, सीवीडी की उगाही या छूट के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रावधानों जो सीवीडी दरों (जैसाकि आयात के मामले में सामान्यतः किया जाता है) को विनियमित करते हैं, वे सेज अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सेज द्वारा डीटीए मंजूरी पर स्पष्ट रूप से लागू होगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रेज-1, रिसरा डिविजन कोलकाता प्राधिकरणों ने डीटीए मंजूरियों पर एंटी डंपिंग शुल्क की वसूली नहीं की।

2.3.3 विदेशी व्यापार नीति (2009-14) के पैरा 6.8(ए) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए की उपधारा 2ए के अनुसार निर्यात उन्मुख यूनिटों (ईओयू) द्वारा आयातित माल पर एंटी डंपिंग शुल्क से छूट होगी बशर्ते कि आयातित वस्तु या तो घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) के अनुसार मंजूर हो अथवा डीटीए में मंजूर किसी माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, तब ऐसे मामले में एंटी डंपिंग शुल्क वस्तु के उस भार पर वसूलीयोग्य होगा जो मंजूर हो अथवा जो प्रयुक्त हो जैसा कि यह भारत में आयात करते समय वसूलीयोग्य था।

विकास आयुक्त (डीसी), फाल्टा सेज और कोलकाता IV केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक ईओयू मै. रॉयल टच फैब्लन प्रा.लिमिटेड ने दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-सीई के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर अप्रैल 2009 से मार्च 2011 के दौरान डीटीए में ₹ 33.13 करोड़ मूल्य का 'पीपीबैग्स, पीपी ट्रिवस्टिंग यार्न और पीपी स्क्रैप्स बेचा। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूनिट ने सउदी अरब जैसे मूल देश के साथ सउदी अरब और सिंगापुर से आयातित स्वदेशी कच्चे माल और पीपी कणिकाओं/रेजिन का प्रयोग करते हुए अपनी वस्तुएं बनाई जिसे दिनांक 19 नवम्बर 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010 सीमाशुल्क के तहत एंटी

डंपिंग शुल्क लागू होते हैं। लेकिन कथित निर्माता पीपी बैग्स, पीपी ट्रिवस्टिंगयार्न और पीपी स्क्रैप की डीटीए बिक्री के समय तैयार उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त अयातित पीपी कणिकाओं/रेजिन्स के भाग पर उल्लिखित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार वसूली योग्य ₹ 1.39 करोड़ का एंटी डंपिंग शुल्क नहीं वसूला गया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेज -I, रिशरा डिविजन, निजाम पैलेस, कोलकाता प्राधिकरण ने शुरू में इस आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया (दिसम्बर 2012) कि एंटी डंपिंग शुल्क लगाई जाने वाली आयातित वस्तुओं की कुल मात्रा यूनिट द्वारा दावे के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान प्रभावित कुल निर्यातों द्वारा खप गई थी, लेकिन बाद में लेखापरीक्षा आपत्ति इस आधार पर स्वीकार की (मार्च 2013/मई 2013) कि यूनिट द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की जिसके लिए कारण बताओं जापन के साथ मॉग का नोटिस जारी किया जा रहा था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी, रायगढ़ आयुक्तालय, महाराष्ट्र ने डीटीए मंजूरियों पर लागू एंटी डंपिंग शुल्क की वसूली नहीं की

2.3.4 चीन से निर्यातित या मूल सीटीएच 28353100 के तहत वर्गीकृत सोडियम ट्रापोली फास्फेट (एसटीपीपी) पर निर्धारित दरों (दिनांक 8 जुलाई 2011 की अधिसूचना सं. 58/2011- सीमाशुल्क) पर एंटी डंपिंग शुल्क वसूली योग्य है। हालांकि, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ए की उपधारा 2(ए) की शर्तों के अनुसार एक ईओयू द्वारा एसटीपीपी के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क नहीं वसूला जाता। लेकिन एक ईओयू द्वारा आयात के समय माल पर छोड़ दिये गए एंटी डंपिंग शुल्क के बराबर की राशि किसी माल के निर्माण हेतु प्रयुक्त माल की समतुल्य मात्रा पर देय होगा जो डीटीए अथवा माल की ऐसी मात्रा में मंजूर हो जिसे डीटीए में इसी तरह मंजूरी दी गई हो (दिनांक 24 जुलाई 2008 का बोर्ड का परिपत्र सं. 12/2008 सीमाशुल्क)।

रायगढ़ आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिट मै. देवा ड्रिल टेक (ई) लिमिटेड को 'डिसपर्सन्ट्स, डिससाल्वर्स' इत्यादि जैसे रासायनिक उत्पादों के निर्माण हेतु अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया। इस यूनिट ने एंटी डंपिंग शुल्क की उगाही के बिना अगस्त से सितम्बर 2011 के बीच चीन से शुल्क मुक्त 300 मी. टन एसटीपीपी आयात किया। इसके बाद यूनिट ने ₹ 1.41 करोड़ मूल्य के कच्चे माल के अर्थात्

एसटीपीपी (सीटीएच 283.31.00) के 287.15 मी.टन को डीटीए में (सितम्बर 2011) ₹ 27.71 लाख के पूरे सीमाशुल्क के भुगतान पर बेच दिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सीमाशुल्क अधिनियम के कथित प्रावधानों के उल्लंघन में डीटीए मंजूरी पर एंटी डंपिंग शुल्क की वसूली नहीं की गई। इसके कारण ₹ 72.78 लाख तक के एंटी डंपिंग शुल्क की गैर वसूली हुई।

इसे अगस्त 2013 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

सहायक विकास आयुक्त, कोचीन ने निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के लिए शुल्क की वसूली नहीं की।

2.3.5 हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.6 (सी) में प्रावधान है कि क्रशिंग/ग्राउंडिंग/स्टर्लाइजेशन प्रक्रिया जैसे मूल्य वर्धन उद्देश्य हेतु विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी)की परिशिष्ट 14-1-सी, आईटीसी (एचएस)के अध्याय 9 में निहित मसालों के आयात के मामले में पहली परेषण का आयात करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करना होगा। हालांकि, 31 दिसम्बर 2008 तक समाप्त आयातों के लिए निर्यात दायित्व अवधि मंजूरी की तिथि से 150 दिन होगी।

मै. बल्लभदास कांजी लिमिटेड, कोलेनचेरी, कोच्ची ने अगस्त से दिसम्बर 2009 के दौरान 'हल्दी' (आईटीसी एचएस के अध्याय 9 के अन्तर्गत) की नौ खेपें (1,63,850 किग्रा.) आयात किया था। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि यूनिट निर्धारित ईओ अवधि के भीतर अनुमत 4766.62 किग्रा. (5 प्रतिशत) अपशिष्ट सहित आयातित 95322.82 किग्रा. 'हल्दी' का उपयोग करते हुए 90556.20 किग्रा. माल का निर्यात कर सकती थी। तदनुसार, यूनिट पर अप्रयुक्त हल्दी (68527.18 किग्रा.) पर ब्याज और ₹ 15.53 लांग की संचयी शुल्क राशि देय थी।

उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुवाटट्रपुजा डिवीजन, केरल ने बताया (जनवरी/नवम्बर 2012) कि ईओ अवधि से 120 दिनों की गणना री-वेयरहाइसिंग की तिथि से की जाए न कि बीई फाईल करने की तिथि से। तदनुसार यूनिट ने मर्दों के लिए एफटीपी में विर्निदिष्ट समय के भीतर ईओ को पूरा कर लिया था।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के संर्भ में देखा जाए कि एचबीपी में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मसालों के आयात के संबंध में पहली खेप के

आयात करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर ईओ को पूरा किया जाए न कि री-वेयरहाउसिंग की तिथि से। इसके अतिरिक्त, ईओ अवधि की गणना करने के लिए मंजूरी की तिथि केवल 31 दिसम्बर 2008 तक समाप्त मसालों के आयातों के मामले में मानी गई है। जबकि मौजूदा मामले में आयात दिसम्बर 2008 के बाद किए गये थे।

सहायक विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीसेज) ने कहा (जनवरी 2013) कि मामले पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ बात की जा रही है मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था(मार्च 2014)।

2.4 प्रोत्साहन उपाय (बाजार से जुड़ी केन्द्रित उत्पाद योजना सहित केंद्रित उत्पाद योजना)

केन्द्रित उत्पाद योजना कुछ क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। महानिदेशक, विदेशी व्यापार (डीजीएफटी), वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) द्वारा योजना शासित की जाती है। आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) द्वारा अनुज्ञि (पूर्व में लाइसेंस के रूप में विदित) जारी किए जाते हैं। 1 अप्रैल 2008 से निर्यात के लिए उच्च निर्यात तीव्रता के कुछ उत्पादों (जिसे केन्द्रित उत्पाद सूची में शामिल नहीं किया गया था) को भी प्रोत्साहित किया गया था, बशर्ते कि माल का निर्यात अधिसूचित देश में किया जाता है (बाजार से जुड़ी केंद्रित उत्पाद योजना के रूप में विदित)।

एचबीपी खंड 1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.9 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 3.15 से 3.15.3 केन्द्रित उत्पाद योजना और बाजार से जुड़ी केंद्रित उत्पाद योजना के तहत लाभ की मंजूरी हेतु आवेदन फाइल करने के लिए हकदारी और प्रक्रिया का प्रावधन है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान जारी अनुज्ञासियों के नमूना जाँच के लिए आठ⁶ विभिन्न राज्य में स्थित 13 आरए⁷ का चयन किया। इस अवधि के दौरान इन आरए द्वारा ₹ 6047.87 करोड़ के शुल्क क्रेडिट वाले कुल 81547 अनुज्ञासि जारी किए जिसमें से लेखापरीक्षा ने याद्विषयक नमूना आधार पर ₹ 1010.26 करोड़ (17 प्रतिशत) की शुल्क क्रेडिट वाले 4632

⁶ अहमदाबाद, भोपाल, सीएलए-दिल्ली, एफटी खण्ड-सेज गॉधीधाम, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, रायपुर, राजकोट, सूरत और बडोदरा।

⁷ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल

अनुज्ञसियों (5.7 प्रतिशत) की नमूना जाँच की। एफपीएस/एमएलएफपीएस लाभ विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों हेतु उपलब्ध है इस लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से नमूना लिया जिसमें कपड़ा, हथकरघा, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि शामिल हैं।

2.4.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित नमूने में हमने अनुज्ञसि (शुल्क क्रेडिट स्क्रिप) जारी करने के आवेदन की प्राप्ति से प्रक्रियाओं की जाँच की। आगामी पैराग्राफों में चरणवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है:

दस्तावेजों का आवेदन और सत्यापन

लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित मामले में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन करते समय निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समुचित जाँच नहीं की गई थी और अनुज्ञसि जारी करने के लिए अवैध दस्तावेज स्वीकार किए गए थे।

2.4.2 विलम्बित आवेदनों पर विलम्ब कटौती न लगाने से अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.11.9 के अनुसार आवेदन निर्यात की तिथि से 12 महीनों की अवधि के भीतर अथवा विदेशी मुद्रा की वूसली की तिथि के छः महीनों के भीतर या एसबी के मुद्रण/प्रकाशन की तिथि से तीन महीनों के भीतर, जो भी बाद में हो, फाइल किया जाएगा। विलम्बित आवेदन पर एचबीपी के पैराग्राफ 9.3 के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क लागू होता है। दिनांक 09 अगस्त 1999 की पीसी सं.26/(आरई-99)/1999-2000 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि जहाँ कहीं भी निर्यातक ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, ऐसे दस्तावेजों की प्रस्तुतीकरण की तिथि को आवेदन की तिथि मानी जाएगी और शुरूआती आवेदन को समय पर नहीं माना जाएगा और यह विलम्ब शुल्क या अस्वीकरण के विषयगत होगा, जैसा भी मामला हो।

पांच आरए (अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई और सूरत) में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आवेदन निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किए जाने के बावजूद 42 मामलों में आरए द्वारा विलम्ब शुल्क नहीं /कम लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.24 लाख के शुल्क क्रेडिट की अधिक मंजूरी हुई (परिशिष्ट 5)।

महानिदेशक, विदेशी व्यापार ने कहा (फरवरी 2014) कि:-

- i. आरए, अहमदाबाद ने वसूली हेतु फर्मों को पत्र जारी किए थे;
- ii. आरए सूरत ने नौ फर्मों से अधिक शुल्क क्रेडिट सौपने की मांग की थी अन्यथा इसे उनके आगामी दावे में समयोजित किया जाता;
- iii. आरए हैदराबाद ने मै. बायोलॉजिकल लिमिटेड और मै. सूरवंशी स्पाइनिंग मिल्स से अधिक क्रेडिट की वसूली की थी तथा मै. ग्लोबेम इंडस्ट्रीज, मै. इंपीरियल गरमेंट्स तथा मै. एचएसआईएल को अनुस्मारक जारी किये थे।

आरए जयपुर ने ₹ 0.15 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त और दिसम्बर 2013)।

2.4.3 अवैध शिपिंग बिल जिन पर अध्याय -3⁹ का लाभ लेने की घोषणा नहीं थी, को गलत विचार करना

एचबीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.11.8 के अनुसार, 1 जून 2008 से निर्यात योजनाओं के अध्याय -3 का लाभ लेने के लिए, निर्यातकों को मुक्त एसबी पर यह घोषणा करनी होगी कि वे एफटीपी के अध्याय 3 के अन्तर्गत लागू लाभों का दावा करेंगे। योजनाओं के अध्याय 4 से 6 (ड्राबैक सहित) के अन्तर्गत लदान के संबंध में, इस घोषणा की आवश्यकता नहीं थी (1 जनवरी 2011 से 2 जून 2011 तक के निर्यातों को छोड़कर)। घोषणा के प्रावधनों की पीएन सं. 82/2009-14 दिनांक 16 जुलाई 2010 में व्याख्या की गई थी तथा अपर महानिदेशक, विदेशी व्यापार, मुंबई द्वारा दिनांक 03 जुलाई 12 के व्यापार सूचना सं. 3/एएम 13 में जाँच सूची के प्रावधान किये गए थे। घोषणा का प्रावधान इसलिए शुरू किया गया ताकि निर्यात के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा माल के मूल्यांकन की जाँच की जा सके। इसके अतिरिक्त दिनांक 13.01.2009 के परिपत्र संख्या 1/2009 –सीमाशुल्क के अनुसार, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लदान के लिए जाँच मानकों का प्रावधान किया गया है।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित सात आरए पर देखा कि यद्यपि एसबी में अध्याय-3 के लाभ लेने के इरादे की घोषणा शामिल नहीं थी, इन एसबी पर शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1329.27 लाख की शुल्क क्रेडिट हेतु अवैध एसबी को स्वीकार किया गया (परिशिष्ट -6)।

⁹ विदेश व्यापार नीति का अध्याय-3

आरए	अनुज्ञसियों जिनमें अवैध एसबी लिए	निर्यात की अवधि	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)
	गए		
अहमदाबाद	19	जनवरी 2011 से मई 2011	890.27
एफटी एण्ड सेज	08	जनवरी 2011 से मई 2011	46.89
गँधी धाम			
हैदराबाद	09	अक्टूबर 2009 से जुलाई 2011	150.61
जयपुर	74	जनवरी 2011 से मई 2011	126.05
कोलकाता	01	अप्रैल 2009 से अगस्त 2009	0.61
राजकोट	13	जनवरी 2011 से मई 2011	62.88
सूरत	09	जनवरी 2011 से मई 2011	51.96
	133		1329.27

विदेश व्यापार नीति योजनाओं अध्याय 4 से 6 के अन्तर्गत 1 जनवरी 2011 और 2 जून 2011 के बीच किए गए निर्यातों के संबंध में एसबी की घोषणा को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि, आरए के पास लंबित/नए आवेदन के लिए पीसी सं. 13 (आरई-2012)। 2009-14 दिनांक 31.01.2013 के द्वारा इस प्रावधान से छूट थी जिसे 30 अप्रैल 2013 तक भरा जाना था। लेकिन 31 जनवरी 2013 से पूर्व घोषणा के अभाव में शुल्क क्रेडिट हेतु ऐसे एसबी का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि उपरोक्त मामलों में प्राधिकरण 31 जनवरी 2013 से पूर्व जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप अवैध दस्तावेजों के आधार पर एफपीएस अनुज्ञसियों की मंजूरी हुई।

महानिदेशक, विदेश व्यापार ने कहा (फरवरी 2014) कि:-

- आरए हैदराबाद ने मै. नियोलैण्ड लैब्स लिमिटेड से ₹ 0.15 लाख की वसूली कर ली थी जबकि मै. अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड और मै. ऋतिक एक्जिम के अन्य मामलों में यह बताया गया कि ईओयू के प्रति शुल्क स्क्रिप्स जारी किए गए हैं इसलिए माने जाने के पात्र हैं। हालांकि डीजीएफटी द्वारा एसबी की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर की जाँच की जायेगी।
- आरए कोलकाता ने ₹ 0.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.61 लाख की वसूली की सूचना दी।
- आरए जयपुर ने सभी 74 मामलों में फर्मों को लाभ वापिस करने का पत्र जारी कर दिया था और तीन मामलों में ₹ 0.36 लाख की वसूली की थी।

2.4.4 प्रत्यक्ष कर लाभ न लेने का साक्ष्य प्राप्त किए बिना ईओयूज को शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.2(i) के अनुसार, एफटीपी के अध्याय -3 का लाभ ईओयूज/ईएचटीपीज/बीटीपीज के लिए नहीं है जो प्रत्यक्ष कर लाभ /छूट ले रहे हैं। इसे दिनांक 21 जनवरी 2009 के पीसी सं. 56 (आरई-2008)/2004-2009 में विस्तार से स्पष्ट किया गया कि अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन करते समय (i) छूट की अवधि पूरा कर लेने वाली ईओयूज इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगी तथा (ii) छूट की अवधि पूरा नहीं करने वाली ईओयूज को आधिकारिक आयकर प्राधिकारियों से इस आश्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वे प्रत्यक्ष कर छूट का दावा नहीं करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 10बी के तहत ईओयूज को प्रत्यक्ष कर की छूट वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाँच मामलो (आरए, अहमदाबाद में तीन मामले तथा आरए, हैदराबाद और आरए, जयपुर में एक-एक) में देखा कि यद्यपि आवेदक ईओयूज थे, आरएज द्वारा आईटी प्राधिकारी से छूट अवधि की समाप्ति का साक्ष्य प्रमाणपत्र नहीं लिया गया और वर्ष 2010-11 के दौरान प्रभावित निर्यातों के प्रति तीन निर्यातकों को ₹ 54.31 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले पाँच अनुज्ञासि जारी किए गए थे (परिशिष्ट 7)।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए अहमदाबाद और जयपुर ने फर्मों को वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया था जबकि आरए, हैदराबाद के अन्तर्गत फर्म ने आईटी प्राधिकारियों से आईटी लाभ न लेने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था।

2.4.5 स्व घोषणा लिए बिना जारी किए गए अनुज्ञासि

आईटीसी (एचएस) संहिता के अध्याय 57 के तहत शामिल हाथ से बने कालीन और अन्य फर्श ढकने वाले कपड़े 23.02.2009 से किए गए निर्यातों हेतु 5 प्रतिशत की दर पर एफपीएस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए पात्र हैं। 23.02.2009 से पूर्व ये विभिन्न दरों पर एफपीएस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए पात्र थे।

मंत्रालय ने अपने परिपत्र (पीसी सं. 21/2009-14 दिनांक 12.01.2010) में स्पष्ट किया कि यदि निर्यात दस्तावेज में निर्यात उत्पाद का उल्लेख केवल कॉटन बाथमैट्स /कालीन अथवा मशीन से बनी कॉटन बाथमैट्स कालीन या मशीन टफ्टेड कॉटन बाथमैट्स/कालीन हैं, तो इन वस्तुओं के निर्यातों को

निर्यातक से एक स्व घोषणा लेने के बाद एफपीएस के अन्तर्गत 23 फरवरी 2009 से और उसके पहले किए गए निर्यातों के लिए लाभ हेतु माना जाना चाहिए। 12.01.2010 से निर्यातों के लिए एसबी में घोषणा को अनिवार्य बना दिया गया था। हालांकि, दुबारा पीसी सं. 23/आरई (2010)/2009-14 दिनांक 21 फरवरी 2011 में यह स्पष्ट किया गया था कि केवल स्व घोषणा आवश्यक होगा और एसबी में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। घोषणा में मूल रूप से इसका उल्लेख होता है कि विनिर्माण गतिविधियों में हाथ से बनी श्रेणी के तहत अर्हक वस्तुओं को प्रयोग करते हुए पर्याप्त श्रमबल का उपयोग किया गया।

2010-11 और 2012-13 के बीच, आरए जयपुर ने निर्यातकों से स्वघोषणा प्राप्त किए बिना ही उल्लिखित उत्पाद के निर्यात के प्रति ₹ 1.63 करोड़ के शुल्क क्रेडिट वाले 21 अनुज्ञासि जारी किए (परिशिष्ट 8), जिसके परिणामस्परूप गलत अनुज्ञासि जारी हुए।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2014) कि एक फर्म ने अधिक राशि लौटा दी और बाकी मामलों में फर्मों द्वारा बाद में घोषणा प्रस्तुत कर दी गई थी।

तथ्य रह जाता है कि बिना वांछित दस्तावेज प्राप्त किए ही अनुज्ञासि जारी कर दिए गए थे।

2.4.6 विनिर्दिष्ट बाजार में निर्यात परेषण के लैंडिंग के गलत सबूत/सबूत के बिना ही एमएलएफपीएस के तहत लाभ की गलत मंजूरी

एचबीपी के पैराग्राफ 3.8.2 के अनुसार, एमएलएफपीएस के तहत आवेदक को निर्यात माल की लैंडिंग हेतु छ: निर्धारित सबूत में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

(i) निम्नलिखित दो मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्यातित देशों में माल की लैंडिंग का कोई सबूत लिए बिना ही आरए द्वारा अनुज्ञासि जारी किए गए थे जिसके कारण ₹ 21.31 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले अनुज्ञासि गलत जारी हुए।

आरए का निर्यातक का नाम नाम	निर्यातित देशों में माल की लैंडिंग का कोई सबूत लिमिटेड	अनुज्ञासि संख्या /तिथि	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)
अहमदाबाद	बोडल केमिकल्स लिमिटेड	810095763 दिनांक 25/01/11	11.43
कोलकाता	अमृत एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	0210143160 दिनांक 08/06/2010	9.88

आरए अहमदाबाद ने आपत्ति स्वीकार की जबकि आरए, कोलकाता ने निर्यातक को लैंडिंग का सबूत देने अथवा ब्याज सहित शुल्क क्रेडिट वापस लौटाने का निर्देश दिया।

(ii) अन्य मामले में, आरए कोलकाता ने अल्जीरिया को 15 एसबीज (एफओबी मूल्य: ₹ 20.40 करोड़) के माध्यम से प्रभावित निर्यातों के प्रति मै. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड को ₹ 40.80 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए अनुज्ञाप्ति (सं. 0210148291 दिनांक 21 सितम्बर 2010) जारी किया। निर्यातक ने मै. समसारा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, (मै. मेडीटेरियन शिपिंग कम्पनी एसए के एक एजेंट) से एचबीपी के पैराग्राफ 3.8.2 के तहत अपेक्षित लैंडिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि शिपिंग लाइनर्स के स्थानीय एजेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में न तो आपने अनुज्ञासि का खुलासा किया था न ही सूचना के स्रोत का किस आधार पर प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जैसाकि एचबीपी के पैरा 3.8.2 के तहत अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ थीं जिसमें हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम तथा जारी करने की तिथि नहीं थीं। इसके कारण ₹ 40.80 लाख का गलत शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

डीजीएफट, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, अहमदाबाद ने वसूली हेतु कम्पनियों को पत्र जारी कर दिया था और आरए, कोलकाता के अन्तर्गत मै. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड ने गंतव्य पत्तन पर माल का लैंडिंग साक्ष्य प्रस्तु कर दिया था।

2.4.7 अनुज्ञासि का गलत विभाजन

एचबीपी 2010 -11 के पैराग्राफ 3.11.4 के अनुसार, पंजीकरण के विभिन्न पत्तन पर आवेदन के समय अनुरोध पर अधिकमत ₹ 5 लाख और इसके गुणक के भी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का विभाजन प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं। जारी करने के पश्चात विभाजन का अनुरोध मूल स्क्रिप पर उल्लेख के अनुसार पंजीकरण के उसी पत्तन पर अनुमत होगा। उपरोक्त प्रक्रिया केवल ईडीआई सक्षम पत्तन के संबंध में ही लागू होगी।

आरए, सूरत में मै. किशन टेकस्टाइल्स, सूरत ने नवा शेवा समुद्री पत्तन मुम्बई के माध्यम से किए गए ₹ 733.18 लाख के निर्यात के प्रति ₹ 14.45 लाख के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन किया। हालांकि, यह देखा गया कि निर्यातक को दो शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए गए जिसमें से एक ₹ 5 लाख के शुल्क क्रेडिट से कम का है (₹ 4.45 लाख का अनुज्ञासि सं. 5210033267

दिनांक 04 जनवरी 2011)। इसके कारण विभाजन प्रमाणपत्र गलत जारी किया गया।

आरए, सूरत ने आप्पति स्वीकार की।

इसी प्रकार, आरए, हैदराबाद में विभाजन अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु तीन आवेदनों के प्रति 14 विभाजन अनुज्ञासि जारी किए गए थे। (2010-11 और 2012-13)। हालांकि इनमें ₹ 5 लाख से कम शुल्क क्रेडिट राशि वाले तीन विभाजन अनुज्ञासि निहित थे। इन तीन अनुज्ञासियों में निहित कुल शुल्क क्रेडिट ₹ 9.97 लाख था (परिशिष्ट 9)।

आरए, हैदराबाद के संबंध में डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि एक बार आवेदक के विभाजन प्रमाणपत्र चुन लेने पर कम्प्यूटर प्रणाली स्वतः ₹ 5 लाख प्रत्येक के गुणांक में विभाजन प्रमाणपत्र की गणना कर लेता है। इस प्रकार वे विभाजन प्रमाणपत्र के मूल्य में संशोधन नहीं कर सकते।

लेखापरीक्षा ने दोहराया कि ईडीआई प्रणाली को एफटीपी/एचबीपी के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

2.4.8 वर्षवार निर्यात पत्तनवार निर्यात के लिए अलग-अलग आवेदन फाइल न करना

एचबीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.11.10 के अनुसार, ईडीआई पत्तनों और गैर ईडीआई पत्तनों से शिपमेंट को एक ही आवेदन में नहीं जोड़ा जा सकता। ईडीआई सक्षम पत्तनों के लिए पंजीकरण पत्तन, निर्यात पत्तन होंगे। गैर ईडीआई पत्तन के माध्यम से निर्यात के मामले में पंजीकरण पत्तन निर्यात के संबंधित गैर ईडीआई पत्तन होंगे। तदनुसार, प्रत्येक गैर ईडीआई पत्तन के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अध्याय 3 के योजनाओं के तहत आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप एएनएफ 3सी के अनुसार, वर्षवार निर्यात के लिए अलग-अलग आवेदन फाइल करना अपेक्षित था।

(i) चार आरएज (अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर और सूरत) में 2010-11 और 2012-13 के बीच जारी नौ अनुज्ञासियों के मामले में आवेदकों ने आवेदन अवधि में उल्लिखित वर्ष से अलग वर्ष से संबंधित को जोड़ दिया था। भिन्न-भिन्न वर्षों से संबंधित इन एसबीज में कुल निहित शुल्क क्रेडिट ₹ 27.42 लाख था (परिशिष्ट 10)।

डीजीएफटी नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरएज अहमदाबाद और हैदराबाद ने वसूली के लिए फर्मों को पत्र जारी कर दिया था।

आरए, सूरत के सबंध में यह कहा गया कि फर्म द्वारा कोई आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है और बिना विलम्ब शुल्क लगाए कई आवेदन फाइल किए जा सकते हैं। इस बात का भी विरोध किया गया कि एफटीपी 2009-10 और 2010-11 में कोई परिवर्तन नहीं था। इस प्रकार, वर्षवार अलग-अलग आवेदन फाइल करने के लिए जोर दिए बिना लाभ की मंजूरी दी गई।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि वर्षवार आधार पर आवेदन फाइल न करना संहिता के प्रावधानों के विपरीत था।

(ii) दिल्ली में एक आवेदक (अनुज्ञासि सं. 510278301 दिनांक 31 नवम्बर 2010, कुल शुल्क क्रेडिट ₹ 1.48 लाख) ने दादरी पत्तन के निर्यात (गैर ईडीआई पत्तन) को ईडीआई सक्षम पत्तन दिल्ली एयर कार्गो के निर्यात से जोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप गलत आवेदन स्वीकार हुआ।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, नई दिल्ली ने फर्म को राशि की वापसी के निर्देश दिये थे।

(iii) आरए जयपुर में मै. लटियाल हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर को ₹ 5.78 लाख के शुल्क क्रेडिट हेतु अनुज्ञासि सं. 1310041978 दिनांक 24/01/2013 जारी किया गया था। हालंकि इस दावे में नौ शिपिंग बिल्स थे जिसमें से आठ शिपिंग बिल्स ईडीआई मुद्रा पत्तन से संबंधित थे और एक शिपिंग बिल (एसबी सं. 104 दिनांक 28.02.2011 शुल्क क्रेडिट ₹ 0.99 लाख) गैर ईडीआई पत्तन अर्थात् राजसिको, बसनी, जोधपुर से संबंधित था। इस प्रकार ईडीआई और गैर ईडीआई पत्तनों से किए गए लदानों को शामिल करने का एक अनुज्ञासि जारी करना उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन था।

आरए, जयपुर ने कहा (अगस्त 2013) कि कथित प्रावधानों को दिनांक 21 नवम्बर 2008 के पीएन संख्या 100 द्वारा संशोधित कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित पीएन अलग-अलग आवेदन फाइलिंग से संबंधित नहीं था।

2.4.9 अयोग्य माल के निर्यात के प्रति अनुज्ञासि जारी करना।

एफपीएस के तहत लाभ उन मामलों के लिए उपलब्ध हैं जो समय-समय पर एचबीपी के परिशिष्ट 37 डी में अधिसूचित हैं। लेखापरीक्षित नमूने में निम्नलिखित मामलों में हमने देखा कि अयोग्य मालों पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई थी।

(क) 'तकनीकी वस्त्र' को परिभाषित करने में देर से कार्रवाई करने के कारण गलत अनुज्ञासि जारी करना।

एचबीवी 2009-14 के परिशिष्ट 37 डी की तालिका -4 के क्रमांक 33 के अनुसार आईटीसी (एचएस) संहित के अध्याय 5407 के तहत आने वाले 'तकनीकी वस्त्र' सिंथेटिक फिलामेंट धागे के बने वस्त्र शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य थे। इस प्रकार, लाभ केवल आईटीएस (एचएस) संहिता 5407 के तहत आने वाले 'तकनीकी वस्त्रों' तक बढ़ाए गए थे। 20 अक्टूबर 2011 तक 'तकनीकी वस्त्र' को परिभाषित नहीं किया गया था, हालांकि नीति परिपत्र (पीसी) सं. 42 (आरई-2010)/2009-14, दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के माध्यम से डीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा यह अधिसूचित किया गया कि उक्त पीसी के अन्तर्गत सूचीबद्ध केवल 33 उत्पाद ही 01 अप्रैल 2011 से निर्यात के लिए 'तकनीकी वस्त्र' की श्रेणी के अन्तर्गत लाभ हेतु योग्य थे। यह स्पष्ट किया गया कि तकनीकी वस्त्र गैर सौदर्यात्मक उद्देश्यों के लिए निर्मित एक वस्त्र उत्पाद है जिसमें कार्य एक मूल मापदण्ड हैं। तकनीकी वस्त्रों में आटोमोटिव अनुप्रयोगों के कपड़े, मेडिकल कपड़े, जिया टेक्सटाइल्स, कृषि के कपड़े और सुरक्षात्मक कपड़े जैसे आग रक्षक कपड़ों की विकिरण और गर्मी सुरक्षा, वेल्डर्स के लिए धातु से सुरक्षा, वार सुरक्षा और बुलेटप्रूफ जैकेट और अंतरिक्ष सूट्स, टैट के कपड़े आदि शामिल हैं। तथाकथित पीसी के माध्यम से ऐसे मामलों में वसूली का भी निर्देश दिया गया था जहाँ 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी निर्यातों हेतु निर्यातकों ने अनुचित लाभ लिया था। इस प्रकार, इस पीसी में 01 अप्रैल 2011 से पहले निर्यातित गैर तकनीकी वस्त्र उत्पादों को मंजूर किए गए अनुचित लाभों की वसूली का कोई जिक्र नहीं था।

आरए, सूरत में 70 अनुज्ञासियों के संबंध में यह देखा गया कि यद्यपि एसबी में 'तकनीकी वस्त्र' के रूप में मालों का विवरण नहीं था, इन अनुज्ञासियों को अध्याय के शीर्षक (5407) को मानते हुए ₹ 760.22 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्यातक ने 100 प्रतिशत पॉलीस्टर फिलामेंट यार्न कसीदाकारी वाली अथवा बिना कसीदाकारी टेक्स्टराइज्ड यार्न और मेटलाइज्ड धागेवाले अथवा बिना मेटलाइज्ड धागे वाली से रंगाई और छपाई वाले वस्त्र के रूप में मुख्य रूप से मालों के विवरण वाले अध्याय के शीर्षक 54071039, 54075490, 54075119, 54075290, 54079400 के अन्तर्गत मुख्यतः मालों को वर्गीकृत किया है। इसके अलावा, इन शीर्षकों का लाभ 33 तकनीकी वस्त्र माल में शामिल नहीं किया गया था। जैसा कि बाद में दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के पीसी में परिभाषित किया गया था, जो इस बात का सबूत है कि ये उत्पाद गैर तकनीकी वस्त्र थे। दिनांक 21

अक्टूबर 2011 के पीसी में भी 01 अप्रैल 2011 से पहले किए गए निर्यातों के लिए गैर-तकनीकी वस्त्र वाले मालों के लिए पहले से ही की गई शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं थी जिसके कारण ₹ 760.22 लाख के अनुचित शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हुई (परिशिष्ट 11)।

01 अप्रैल 2011 से पूर्व निर्यातों वाले आरए सूरत द्वारा जारी 23 अन्य अनुज्ञासियों (शुल्क क्रेडिट ₹ 183.93 लाख) तथा आरए, कोलकाता द्वारा जारी तीन अनुज्ञाप्तियों (शुल्क क्रेडिट-₹ 58.62 लाख) में यह देखा गया कि यद्यपि शिपिंग बिल्स, दस्तावेजों के बीजकों में विवरण/अध्याय के शीर्षकों से स्पष्ट रूप से पता चला कि निर्यातित माल साड़ी, सलवार, कमीज, दुपट्टा, फैब्रिक्स इत्यादि थे, इन एसबीज पर ₹ 242.55 लाख का शुल्क क्रेडिट दिया गया था। आरए, इन एसबीज में उल्लिखित विवरण के आधार पर लाभ को अस्वीकृत कर सकते थे, हालांकि आरएज द्वारा मालों को मात्र 'तकनीकी वस्त्र' के रूप में माना गया क्योंकि एसबी में आईटीसी (एचएस) संहिता 5407 के तहत वर्गीकरण दर्शाया गया था (परिशिष्ट 12)।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि लाभ आईटीसी (एचएस) संहिता 5407 के सभी माल के लिए उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त कहा गया कि जबकि लाभ आईटीसी (एचएस) संहिता 5407 तक बढ़ाए गए थे, उनके उप शीर्षों के भी अन्तर्गत आने वाले सभी माल लाभ के लिए योग्य होंगे। इस बात का भी विरोध किया गया कि दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के नीति परिपत्र संख्या 42 (आरई -2010)/2009-14 के अनुसार 01 अप्रैल 2011 से पूर्व निर्यातित गैर तकनीकी वस्त्र वाले माल भी शुल्क क्रेडिट के लिए योग्य थे।

तथ्य रह जाता है कि विभाग नित्नांकित में विफल रहा:

- i) शुरुआती दौर में तकनीकी वस्त्र परिभाषित करने में और
- ii) 01 अप्रैल 2011 से पहले किए गए निर्यातों के लिए निर्यातकों द्वारा पहले ही लिए गए अनुचित लाभों की वसूली की कार्रवाई करने में,
- iii) ऐसे मामलों में लाभ देने से मना कर देना जहाँ समर्थित दस्तावेजों से पता चला कि निर्यातित माल तकनीकी वस्त्र नहीं थे।

(ख) हथकरघा उत्पाद के रूप में दावा किए गए इंजीनियरिंग माल के लिए शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

परिशिष्ट 37डी की तालिका 5 के अंतर्गत निहित मालों पर निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया था। हालांकि तालिका 5 में टिप्पणी (नए हथकरघा उत्पाद) के अनुसार, तालिका में

निहित सभी मर्दों के निर्यातों का लाभ केवल हथकरघा उत्पादों के लिए मान्य होगा। इसके अलावा उक्त टिप्पणी के अनुसार यदि इस मुद्दे पर कोई संदेह उत्पन्न होता है तो हथकरघा हेतु निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) स्पष्ट करेगा कि निर्यात उत्पाद एक हथकरघा उत्पाद है। थीडेड राडस/वस्तुएं (आईटीसी (एचएस) संहिता 7318900) परिशिष्ट -37 डी की तालिका 5 के क्रमांक 52 पर योग्य थे।

मै. मंगल स्टील इंटरप्राइजेज, कोलकता एक स्टील और संबद्ध कम्पनी को आरए कोलकता द्वारा 115 शिपिंग बिल्स के अंतर्गत निहित विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पादों (एफओबी मूल्य : ₹ 887.52 लाख) के निर्यात के लिए अगस्त 2010 और मई 2011 के बीच ₹ 39.55 लाख के चार शुल्क क्रेडिट लाइसेंस जारी किए गये थे। तालिका-5 के क्रमांक 52 के प्रति शुल्क क्रेडिट का दावा किया गया था। 99 एसबीज (एफओबी मूल्य: ₹ 722.77 लाख) में हमनें देखा कि निर्यातक ने 'गैल्वेनाइड माइल्ड स्टील फुंल थीडेड रॉड्स' के साथ साथ लोहा/स्टील का बना एक इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्यात किया और ₹ 36.14 लाख के शुल्क क्रेडिट का दावा किया। शिपिंग बिल्स अथवा सीमाशुल्क प्रमाणित बीजकों में इस बात के साक्ष्य का सूचक नहीं था कि थोक में निर्मित और निर्यातित (13,94,400 पीस, 1552.85 एम.टी) ये माल 'हथकरघा' उत्पाद थे। आरए ने निर्यातक से न तो कोई दस्तावेज मांगा था न ही माल की वास्तविक श्रेणी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद सीमाशुल्क प्राधिकारी को मामले से अवगत कराया, जिसके परिणामस्वरूप बिना सत्यापन के ₹ 36.14 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि एफपीएस लाभ आईटीसी (एचएस) कोड पर आधारित है और फर्म में जिस उत्पाद का निर्यात किया था वह उपरोक्त क्रमांक द्वारा कवर किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि निर्यातित मद को 'हथकरघा उत्पाद' के अन्तर्गत अपनी श्रेणीकरण के लिए ईपीसीएच प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

(ग) अयोग्य माल के शुल्क की मंजूरी

आरए, जयपुर में लेखापरीक्षा ने देखा कि 91 शिपिंग बिल्स शुल्क क्रेडिट ₹ 41.09 लाख) के संबंध में चार निर्यातकों को 16 अनुज्ञासि जारी किए गए थे, यद्यपि शिपिंग बिल्स/बीजकों में माल /आईटीसी कोड के विवरण परिशिष्ट 37 डी में उल्लिखित योग्य आईटीसी कोड से अलग थे। दो मामलों को आगे वर्णित किया गया है:

(i) एचबीपी 2009-2014 के परिशिष्ट 37 डी की तालिका -4 के क्रमांक 75 के साथ पठित परिशिष्ट -37 डी की तालिका -7 के क्रमांक 143 के अनुसार आईटीसी कोड के अध्याय 73259100 के अन्तर्गत आने वाले 'ग्राइंडिंग बाल्स' और नरम कच्चे लोहे के मिलों के लिए समान वस्तुएं एफपीएस के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य होंगी। हालांकि 10 मामलों में 'हाई क्रोमियम ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स 60 एमएम' के रूप में और आईटीसी (एचएस) कोड 73261100 के अन्तर्गत वर्गीकृत मालों के विवरण वाले माल पर शुल्क क्रेडिट दिया गया।

(ii) आईटीसी कोड 63026090, एचबीपी 2009-14 के परिशिष्ट 37डी की तालिका -1 के क्रमांक 245 के अनुसार टेरी टावेलिंग के या समान टेरी फैब्रिक्स के टॉयलेट लिलन और किचेन लिलन एफपीएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट के लिए योग्य था। हालांकि तीन मामलों में आईटीसी (एचएस) कोड 63026000 के तहत वर्गीकृत सूती टॉयलेट लिलन तथा सूती टेरी टावेलिंग के किचेन लिलन के रूप में मालों के विवरण वाले मालों पर शुल्क क्रेडिट दिया गया।

इस प्रकार इन अयोग्य आईटीसी (एचएस)कोड के प्रति अनुज्ञासि जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 41.09 लाख का गलत शुल्क क्रेडिट जारी हुआ (परिशिष्ट 13)।

आरए, जयपुर ने कहा (अक्टूबर 2013) कि सीमाशुल्क विभाग के सॉफ्टवेयर के गैर अद्यतन के कारण पुराने और संशोधित आईटीसी एचएस के तहत वर्गीकृत माल डीजीएफटी द्वारा अनुमत कर दिए गए। इस प्रकार सॉफ्टवेयर के गैर-अद्यतन और अपेक्षित नियंत्रण के कारण गलत शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

(घ) अयोग्य हथकरघा माल के लिए शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

आरए, जयपुर के पत्र सं. 13/जेडीजी/पीओएल/एएम 12/57 दिनांक 03 मई 2012 के संदर्भ में "आयरन रीइंडियर XII गोल्ड मोजैक" के आईटीसी एचएस कोड 73262090 के संबंध में केंद्रित उत्पाद योजना के तहत लाभ की स्वीकार्यता पर निर्देश देते हुए कि आईटीसी एचएस कोड 73262090 के तहत निर्यातित उत्पाद को 'हथकरघा उत्पाद' होने की शर्तों को पूरा करना होगा और कम्पनी परिशिष्ट 37डी की तालिका 5 में दी गई टिप्पणी के अनुसार विकास आयुक्त (हथकरघा), कपड़ा मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करे, डिप्टी डीजीएफटी, डीओसी, नीति खण्ड पीसी 3, उद्योग भवन, नई दिल्ली दिनांक 23 मई 2012 के पत्र द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया।

परिशिष्ट 37 डी में विशेष निर्देशों/प्रावधानों के विपरीत लेखापरीक्षा ने देखा कि आरए, जयपुर ने डीसी (हथकरघा) से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना मै. हाइटेक एक्पोटर्स, जोधपुर को दो अनुज्ञासि जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 लाख के शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी हुई।

इस प्रकार दिनांक 30 मार्च 2010 के एसबी संख्या 5563 में सीमाशुल्क प्राधिकारी (आईसीडी जोधपुर) की अभ्युक्ति थी कि 'हथकरघा वस्तु डीसी हथकरघा से सत्यापन के विषयगत होगा', हालांकि, डीसी (हथकरघा) से प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु कोई करवाई नहीं की गई और इस एसबी को मै; बोथरा इंटरनेशनल, जोधपुर को जारी दिनांक 24/09/12 की अनुज्ञासि संख्या 1310041113 में ₹ 0.18 लाख का शुल्क क्रेडिट दिया गया।

आरए जयपुर ने कहा (जुलाई 2013) कि केवल संदिग्ध मामलों में ईपीसीएच प्रमाणन की आवश्यकता थी।

उत्तर को निर्यातित वस्तु के मद्देनजर देखा जाना चाहिए जिसकी 'हथकरघा उत्पाद' के तहत वर्गीकरण हेतु ईपीसीएच प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी।

(इ) अयोग्य मालों को शुल्क क्रेडिट की मंजूरी के अन्य मामले

अयोग्य मालों को शुल्क क्रेडिट की मंजूरी के अन्य विविध मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आरए	निर्यातित माल	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)	अयोग्यता के कारण
अहमदाबाद	जैविक लाल मिर्च पाठड़र/सिले फैब्रिक्स	0.67	1. 'लाल मिर्च' के लिए लाभ उपलब्ध था 2. एसबी में उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड की टेकिनीकल फैब्रिक्स पीसी सं. 42 दिनांक 21/10/2011 के अनुसार तकनीकी वस्त्र नहीं था।
अहमदाबाद	पुनर्निर्यातित माल	1.51	पुनर्निर्यातित माल एफटीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.17.2(ii) के तहत शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य नहीं।
हैदराबाद	आईटीसी (एचएस) कोड 30049099 के माल एवं अन्य	0.72	आरए ने शुल्क क्रेडिट मंजूर करने हेतु विभिन्न आईटीसी (एचएस) कोड अपनाया (आरए ने आपत्ति स्वीकार की।
मुम्बई	हैंगर्स आईटीसी (एचएस) कोड 39269099	0.46	योग्य माल एपेरल/वस्त्रों के साथ-साथ निर्यातक ने 'हैंगर निर्यात' किया।

आरए	निर्यातित माल	शुल्क क्रेडिट	अयोग्यता के कारण
		(₹ लाख)	
मुम्बई	क्वाइल में प्लेट्स-आईटीसी (एचएस) कोड-72085100	4.07	एसबीज के अनुसार 'क्वाइल' के रूप में स्टील प्लेट्स का निर्यात जबकि परिशिष्ट -37 डी की तालिका 4 के क्रमांक 214 के तहत अनुज्ञेय नहीं।
सूरत	पीटीवाई-आईटीसी (एचएस) कोड 52052310	0.68	आईटीसी (एचएस) कोड 54023300 के लिए शुल्क क्रेडिट का दावा लेकिन अयोग्य आईटीसी (एचएस) कोड -52052310 वाले एक एसबी में शामिल।
कुल अधिक शुल्क क्रेडिट		8.11	

अनुज्ञप्तिवार विवरण परिशिष्ट 14 में दिया गया है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (फरवरी 2014) कि आरएज अहमदाबाद, हैदराबाद, सूरत और मुम्बई ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की। आरए हैदराबाद ने सौंपे गए डीईपीबी के प्रति ₹ 0.88 लाख समायोजित किया, जबकि आरए मुम्बई ने मै. जेस इंटरनेशनल से ₹ 0.62 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2013)।

2.4.10 त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वाले एसबी के लिए शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

एफपीएस योजना के तहत समय -समय पर एचबीपी के परिशिष्ट 37 डी में माल अधिसूचित किए जाते हैं। मालों को अधिसूचित करते समय मालों के विवरण के साथ-साथ आईटीसी (एचएस) कोड (2-8 अंक स्तरीय) भी अधिसूचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क नियमावली, 2001 [अध्याय 3 का पैरा ॥ (एम)] के अनुसार निर्यात के प्रभारी अपर आयुक्त /संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा' लेट एक्सपोर्ट आर्डर' के पश्चात शिपिंग बिल्स में संशोधन किया जा सकता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 149 के प्रावधान के अनुसार, निर्यात मालों को निर्यातित किए जाने के पश्चात एसबी में संशोधन केवल इस आधार पर किया जा सकता है जो मालों को निर्यात करते समय विद्यमान हों।

निम्नलिखित मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्यातित मालों के वर्गीकरण में कमियाँ थीं, निर्यातक को लाभ दिए गए।

2.4.11 'कोरोनरी स्टैंट सिस्टम' के तहत वर्गीकरण के कारण शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

परिशिष्ट 37डी की तालिका 1 के तहत क्रमांक 59 के अनुसार , आईटीसी (एचएस) कोड 9018 के तहत आने वाले साइट टेस्टिंग इंस्हूरेंस और अन्य इलेक्ट्रो मेडिकल उपकरण, साइंटिग्राफिक उपकरण सहित चिकित्सा, सर्जिकल,डैटल या वेटेरिनरी साइसेज में प्रयुक्त 'इंस्हूरेंस और उपकरण 2 प्रतिशत एफओबी मूल्य की दर से शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य हैं। ये वस्तुएं 2.5 की दर से शुल्क क्रेडिट के लिए भी योग्य थी यदि तालिका 9 के क्रमांक 4 के अन्तर्गत अग्रिम अनुज्ञासि योजना के तहत निर्यातित हों।

आरए, सूरत में अप्रैल 2009 और मार्च 2011 के बीच निर्यातित 'कोरोनरी स्टैंट सिस्टम्स' के निर्यातों के प्रति सितम्बर 2010 और मार्च 2012 के बीच मै. सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलॉजीज सूरत को निम्नलिखित छ: अनुज्ञासि जारी किए गए थे।

अनुज्ञासि संख्या/तिथि	एफओबी मूल्य (लाख में)	शुल्क क्रेडिट	एसबीज़ की संख्या	एसबी के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोड
5210031907 दिनांक 14/9/10	598.28	14.66	35	39,8407,9022,9018
5210031779 दिनांक 30/8/10	590.67	11.80	39	39,8407,9022,9018
5210037759 दिनांक 24/1/12	275.06	5.43	22	9018
5210037696 दिनांक 18/1/12	83.55	1.67	8	9018
5210038840 दिनांक 8/8/12	259.61	5.19	27	9018
5210039575 दिनांक 19/3/12	287.03	5.63	19	9018
2094.20		44.38	150	

उपरोक्त में से पहले दो अनुज्ञासियों में 'कोरोनरी स्टैंट सिस्टम्स' को 9018 के योग्य शीर्षक के प्रति विभिन्न अध्यायें 39, 84, 9018, 9022, 9018 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। वर्गीकरण में खामियों के कारण आरए ने निर्यातक से एक शपथ पत्र लिया कि कथित माल अध्याय 9018 के अन्तर्गत हैं (अर्थात् एफपीएस लाभ हेतु योग्य माल) और शपथपत्र में निर्यातक ने कहा

कि निर्यातित माल अध्याय 9018 के 'कोरोनरी स्टेंट' थे। हालांकि आईटीसी (एचएस) कोड शीषर्क 90183990 के अनुसार जिसके लिए निर्यातक ने शुल्क क्रेडिट का दावा किया है 'कार्डीइक कैथेटर' के अंतर्गत आता है जो वास्तव में 'कोरोनरी स्टेंट' बनाने के लिए कच्चा माल था। चार अनुजस्तियों से संबद्ध बाद के निर्यातों में निर्यातक ने आईटीसी (एचएस) कोड को संशोधित करके 9018 कर दिया। हालांकि, निम्नलिखित लेखापरीक्षा आपत्तियों के कारण सभी मामलों में शुल्क क्रेडिट की मंजूरी सही नहीं थी:

- i. 131 शिपिंग बिल्स वाले पहले पाँच एफपीएस अनुजस्तियों में 86 फ्री शिपिंग बिल्स/ अग्रिम अनुजस्ति ईपीसीजी शिपिंग बिल्स में अध्याय -3 का लाभ लेने की घोषणा करनी थी। हालांकि, शिपिंग बिल्स में कोई घोषणा नहीं की गई थी लेकिन शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई।
- ii. निर्यातक ने अध्याय 9021 के तहत आने वाले विभिन्न प्रकार के 'कोरोनरी स्टेंट' का निर्यात किया जैसे निर्णय के अनुसार 'बॉडी में लगाने के लिए धिसे या लाए गए डिवायसेज, आलायसेज जो मालों के वर्गीकरण् हेतु नाम पद्धति (एचएसएन) के लिए सामंजस्य पर आधारित हैं। यद्यपि वर्गीकरण में खामियाँ थीं और एसबीज में अनिवार्य घोषणा नहीं की गई थी, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने संपर्क नहीं किया और ₹ 44.38 लाख का क्रेडिट जारी किया गया था।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए सूरत ने कम्पनी से स्पष्टीकरण माँगा था और इसकी प्राप्ति पर एक विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा को भेजा जाएगा।

2.4.12 अनुजस्ति जारी करने हेतु एसबीज में अवैध संशोधन की स्वीकार्यता

दिनांक 13/10/2011 के पीएन संख्या 80 (आरई-2010)/2009-14 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 15153090 के अन्तर्गत आने वाले 'कैस्टर ऑयल और इसके अंश (योग्य श्रेणी के अलावा) को 01/04/11 से निर्यातों के लिए तालिका 4 के क्रमांक 247 के अन्तर्गत एफपीएस का लाभ अनुमत किया गया था।

वर्ष 2012-13 के दौरान विकास आयुक्त, सेज, गांधीधाम के अधीन कार्य करने वाले विदेश व्यापार सेक्शन ने जनवरी और फरवरी 2012 से संबंधित 25 एसबीज के प्रति मै. कांदला एण्ड एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 61.66 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले पाँच एफपीएस अनुजस्ति जारी किए। एसबीज (मुंद्रा और कांदला पत्तन) की संवीक्षा से पता चला कि एसबीज में

निर्यातक ने 'कैस्टरऑयल' को आईटीसी (एचएस) कोड 15099099 के तहत वर्गीकृत किया था जिसके अन्तर्गत 'ऑलिवऑयल' वर्गीकृत है। गलत वर्गीकरणों के कारण सीमाशुल्क अधीक्षक के अनुमोदन से आईटीसी (एचएस) को कोड 15099099 से बदल कर 15153090 करते हुए इन एसबीज़ में परिवर्तन कर दिया गया। एसबीज़ के इन संशोधनों पर आरए द्वारा शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई जबकि ये संशोधन सीमाशुल्क के उपयुक्त प्राधिकारी (अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क) द्वारा नहीं किए गए थे। तथ्यों की पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि संशोधन उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया था। अनुज्ञासि संख्या 3710001974 के मामले में यह पाया गया कि निर्यात कांदला पत्तन से किए गए थे, हालांकि निर्यातक ने संशोधनपत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीक्षक, सीमाशुल्क, सीमाशुल्क भवन, मुंद्रा के हस्ताक्षर थे। तत्पश्चात आरए द्वारा मांग करने पर निर्यात ने सीमाशुल्क प्राधिकारी कांदला द्वारा हस्ताक्षरित संशोधन पत्र प्रस्तुत किया।

इन गलत/त्रुटिपूर्ण संशोधन पत्रों के आधार पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 61.66 लाख के शुल्क क्रेडिट हेतु गलत अनुज्ञासि जारी हुए (परिशिष्ट 15)।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप विदेश व्यापार विकास अधिकारी, सेज, गॉधीधाम ने संशोधन पत्रों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी से मामले पर बात की। सीमाशुल्क प्राधिकारी, मुंद्रा से उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

2.4.13 सीमाशुल्क प्राधिकारी से एसबी में संशोधन का साक्ष्य लिए बिना अनुज्ञासि जारी करना।

दिनांक 06 अगस्त 2008 के पीएन संख्या 60/2008 के अनुसार आईटीसी (एसएच) कोड '73182200 के अन्तर्गत शामिल वाशर्स नान थ्रीडेड' को 01 अप्रैल 2008 से निर्यातों के लिए एफपीएस लाभ हेतु योग्य कर दिया गया।

आरए, वडोदरा में लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न वर्गों के स्टेनलेस स्टील वाशर्स' के निर्यातों के प्रति 2010-11 में मै. सुचि फास्टनर्स प्रा. लिमिटेड को दो अनुज्ञासि जारी किया गया था। उल्लिखित पीएन के माध्यम से तालिका-11 के क्रमांक 13 के तहत लाभ के दावे किए गए थे। यह क्रमांक आईटीसी (एचएस) कोड 73182200 के 'वाशर्स नान-थ्री डेड' में निहत है और एसबीज़ में आईटीसी (एचएस) कोड 73182990 के तहत वर्गीकृत या निर्यातित माल नहीं है। इसके कारण माल का वास्तविक विवरण सुनिश्चित किए बिना ₹ 19.09 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

आरए, बडोदरा ने उत्तर दिया कि कोड 7318 के अन्तर्गत निहित माल में थ्रीडेड और नान थ्रीडेड वस्तुएं शामिल हैं। 73182100 से 73182990 की प्रविष्टियों के अंतर्गत 'नान थ्रीडेड' माल आते हैं। इस प्रकार, 73182990 और 73182200 के दोनों शीर्षकों के लिए लाभ उपलब्ध है।

विभाग के उत्तर को परिशिष्ट के अन्तर्गत निर्धारित लाभों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो अध्याय शीर्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और शीर्षक 73181500, 7318600, 17181900, 73182200, 73182300 के अन्तर्गत आने वाले माल केवल एफपीएस लाभ के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वर्गीकरण में खामियां थीं, न तो मामले को संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा देखा गया न ही निर्यातक ने सीमाशुल्क प्राधिकारी से एसबीज में संशोधन का कोई सबूत प्रस्तुत किया जैसा कि सीमाशुल्क नियमावली, 2001 [(अध्याय -3 का पैरा 11 (एम))] के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित था।

2.4.14 शुल्क और एफओबी मूल्य की गणना पद्धति

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.11.11 के अनुसार अनुज्ञासि की मंजूरी निर्यात के एफओबी मूल्य पर दी जाएगी। निर्यातों का एफओबी मूल्य एसबी (शिपिंग बिल में घोषित मुक्त विदेशी विनिमय और एलईओ की तिथि पर मासिक सीमाशुल्क दर पर भारतीय रूपये में परिवर्तित एफओबी मूल्य से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एफटीपी 2009-10 के पैराग्राफ 3.17.3 के अनुसार एफओबी में 12.5 प्रतिशत तक एजेंसी कमीशन शामिल होगा।

निम्नलिखित मामलों में हमने पाया कि गलत एफओबी मूल्य/विनिमय दर लगाने के कारण ₹ 5.24 लाख का अधिक शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

आरए	अनुज्ञासि की संख्या	अधिक शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)	अधिक शुल्क क्रेडिट के कारण
अहमदाबाद	03	0.70	एलईओ तिथि पर एफओबी मूल्य हेतु प्रचलित विनिमय दर नहीं लगाया गया।
सीएलए-दिल्ली	03	1.11	एजेंसी कमीशन 12.5 प्रतिशत से अधिक दिया गया।
एफटी खण्ड, सेज गॉथी धाम	01	1.79	एफओबी मूल्य में माल के मूल्य में गलत वृद्धि की गई
एफटी खण्ड, सेज गॉथी धाम	05	1.49	एफओबी में 'गुणवत्ता अलावंस' दिया गया
एफटी खण्ड, सेज गॉथी धाम	02	0.15	एलईओ तिथि पर एफओबी मूल्य हेतु प्रचलित विनिमय दर नहीं लगाया गया।
14		5.24	

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, दिल्ली ने मै. ओम श्री आननद फूड्स (प्रा.) लिमिटेड और मै. थीपेन्स क्रॉफ्ट को अधिक शुल्क क्रेडिट वापस करने का निर्देश दिया था जबकि मै. ए.बी. इंटरप्राइज के मामले में जाँच के बाद यह पाया गया कि एजेंसी कमीशन 12 प्रतिशत की दर से अनुमत किया गया था।

आरए, अहमदाबाद ने कहा (जनवरी 2014) कि एलईओ की तिथि पर प्रचलित दर लगाया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि विभाग द्वारा लगाया गया दर एलईओ की तिथि पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित दर नहीं थी।

हकदारी दर का गलत लागू करना

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामले में देखा कि शुल्क क्रेडिट सही दर पर नहीं लगाए गए अथवा बोनस शुल्क क्रेडिट अयोग्य मालों को जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हुई।

2.4.15 बोनस शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी

नीचे तालिका-7 के नोट (दिनांक 15 फरवरी 2011 के पीएन सं. 33/(आरई 2010)/2009-14 के माध्यम से अधिसूचित) के अनुसार, क्रम संख्या 157 से 169 पर प्रविष्टियों में 2 प्रतिशत बोनस शुल्क क्रेडिट दिया गया और इस माल के लिए 7 प्रतिशत की दर से कुल शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया। हालांकि, बोनस शुल्क क्रेडिट का लाभ 01 जनवरी 2011 से प्रभावित निर्यात के लिए मान्य था।

- i. आरए जयपुर में लेखापरीक्षा ने दो अनुज्ञासियों में देखा कि निर्यातकों को उन मालों में बोनस शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया था जहाँ निर्यात की तिथि 01 जनवरी 2011 से पहले की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.32 लाख का अधिक शुल्क क्रेडिट जारी हुआ (परिशिष्ट 16)।
- ii. इसी प्रकार, आरए अहमदाबाद में दिनांक 07 मार्च 2013 के अनुज्ञासि संख्या 810119147 में लेखापरीक्षा ने देखा कि दो एसबीज के लिए आवेदक ने आईटीसी (एचएस) कोड 73269099/74199990 के माल के लिए तालिका -7 के क्रमांक 1 और 6 के तहत बोनस शुल्क क्रेडिट का दावा किया था जबकि इन क्रमांकों को इन आईटीसी (एचएस) कोड के प्रति बोनस शुल्क क्रेडिट नहीं दिया गया। इसके कारण

₹ 0.44 लाख की अधिक शुल्क क्रेडिट मंजूर हुआ। उपरोक्त मामलों का विवरण परिशिष्ट 16 में दिया गया है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, अहमदाबाद ने फर्म को वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया था।

आरए, जयपुर ने इस आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया (जनवरी 2014) कि पीएन सं. 2 दिनांक 23 अगस्त 2010 में 01 अप्रैल 2010 से 7 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 जनवरी 2011 से किए गए निर्यात पर दिनांक 15 फरवरी 2011 का पीएन संख्या 33 लागू था।

2.4.16 पूर्व वसूली मामलों की मानीटरिंग के लिए अनुपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र

एफपीएस के अंतर्गत निर्यातक विदेशी मुद्रा की वसूली से पूर्व भी शुल्क क्रेडिट का आवेदन कर सकता है। दिनांक 30 मार्च 2009 के पीसी संख्या 76 (आरई 2008)2004-09 के साथ पठित एचबीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.11.12 के अनुसार निर्यात कार्रवाई की वसूली के संबंध में संबंधित आरए द्वारा सभी पूर्व वसूली वाले मामलों की मानीटरिंग की जाएगी। पैरा4.45 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्व वसूली आधार पर अध्याय 3 के अंतर्गत जारी स्वतंत्र रूप से स्थानांतरणीय शुल्क क्रेडिट के यथोचित परिवर्तन लागू होंगे। यदि किसी मामले में आरबीआई विस्तार नहीं प्रस्तुत किया जाता, आरए वसूली की कार्रवाई शुरू करेगा। नियमित मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित आरए ऐसे सभी मामलों में बीजी/एलयूटी की इसकी राशि और अंतिम तिथि सहित योजनावार, निर्यातकवार विवरण रखेगा।

निम्नलिखित मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्व वसूली वाले मामलों की ठीक से मानीटरिंग नहीं की गई थी।

आरए	मानीटरिंग न किए गए/अनुपयुक्त मानीटरिंग वाले मामले	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)
अहमदाबाद	01	34.52
हैदराबाद	148	2125.68
जयपुर	13	138.68
कोलकाता	16	363.44
	178	2662.32

आगे कुछ मामले दर्शाएं गए हैं:

- i. आरए, अहमदाबाद में लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. अरविंद लिमिटेड को ₹ 17.26 करोड़ की एफई के प्रति ₹ 34.52 लाख के शुल्क क्रेडिट वाला अनुज्ञासि संख्या 0810113000 दिनांक 26 जून 2012 जारी किया गया था। निर्यातक ने 11/06/2012 को एलयूटी निष्पादित किया। निर्यातक ने निर्यात कार्यवाहियों की वसूली के सबूत के प्रति कोई विवरण नहीं प्रस्तुत किया था जो अनुज्ञासि जारी करने की तिथि से हर तीन माह बाद प्रस्तुत करना आवश्यक था। यहाँ तक कि एक वर्ष पूरा होने के बाद भी न तो आरए ने माँग की और न ही निर्यातक ने आरबीआई द्वारा निर्यात कार्यवाही/विस्तार की वसूली के प्रति कोई सबूत प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की गलत मानिटरिंग हुई जिसके लिए ₹34.52 लाख का शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया। आरए, अहमदाबाद ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली गई है।

आरए, अहमदाबाद ने बताया (जनवरी 2014) कि वसूली का सबूत देने के लिए फर्म को पत्र भेज दिया गया है।

- ii. आरए, जयपुर द्वारा ₹ 138.68 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले 13 अनुज्ञासि जारी किए गए थे जिसमें कम्पनी ने पूर्व वसूली आधार पर आवेदन किया। संवीक्षा से पता चला कि निर्यातकों ने निर्यात कार्यवाहियों के वसूली का सबूत नहीं दिया जिसे अनुज्ञासि जारी करने की तिथि से हर तीन महीने के पश्चात् प्रस्तुत करना था। हालांकि न तो आरए ने की माँग की औष्ठ न ही निर्यात करने आरबीआई द्वारा निर्यात कार्यवाही/विस्तार की वसूली के प्रति कोई सबूत प्रस्तुत किया। इन 13 मामलों में से चार मामलों में निर्यातकों की निष्पादित एलयूटीज की वैधता भी समाप्त हो गयी थी। आरए, जयपुर में हमने देखा कि एयूटी रजिस्टर ठीक से नहीं बनाए गए थे जिसे दिनांक 30 मार्च 2009 की पीसी संख्या 76 (आरई 2008) 2004-09 के अनुसार अनुरक्षित किया जाना था। इसमें पूर्व वसूली वाले मामलों की मॉनीटरिंग के लिए अनुपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित किया। डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए जयपुर ने फर्मों को वसूली के लिए पत्र भेज दिया था।
- iii. इसी प्रकार, आरए, कोलकाता ने एमएलएफपीएस के अंतर्गत अमेरीका को एपेरल्स के निर्यात के लिए पूर्व वसूली आधार पर ₹ 25.27 लाख के लिए मै. राजीव डागा को छ: हस्तांतरणीय शुल्क स्क्रिप्स (दिनांक 23 अप्रैल 2010 के संख्या 0210141151 से 0210141156) जारी किया।

हालांकि, स्क्रिप्ट के करने की तिथि से 12 महीने बीत जाने के बावजूद भी फर्म ने बीआरसी प्रस्तुत नहीं किया, न ही इस संबंध में आरबीआई से विस्तार की अनुमति का दस्तावेज प्रस्तुत किया। आरए, कोलकाता का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

- iv. आरए, कोलकाता के अन्य 10 मामले और आरए जयपुर तथा हैदराबाद द्वारा पूर्व वसूली मामलों के गैर मॉनीटरिंग के मामलों की सूची परिशिष्ट 17 में दी गई है।

डीजीएफट, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि मै. शिवम आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और मै. पंकज कुमार अग्रवाल ने बैंक वसूली प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था और मै. लक्ष्मीनारायण उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और मै. मैथन एर्लावायज लिमिटेड से वसूली शुरू की गई है।

निर्यातक द्वारा शुल्क क्रेडिट का उपयोग

लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित दो मामलों में एफपीएस अनुज्ञासि आरए/सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त किए जाने हेतु गलत तरीके से अनुमति किए गए।

2.4.17 एफपीएस अनुज्ञासि से डेबिट करने के लिए क्लीन एनर्जी उपकर अनुमति किया गया।

अधिसूचना संख्या 3/2010 सीईसी दिनांक 22 जून 2010 में देश में उत्पादित कोयला पर 50/मी.टन की दर पर क्लीन एनर्जी सेस (सीईसी) के उद्घाटन का प्रावधान है। दिनांक 24 जून 2010 के कर अनुसंधान यूनिट (टीआरयू) के पत्र सं. 354/72/2010 टीआरयू के अनुसार सीईसी का भुगतान नकदी रूप में करना था। तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 26/2010 केन्द्रीय उत्पाद (एनटी) दिनांक 29 जून 2010 में भी सीईसी के भुगतान के लिए सेनेवेट क्रेडिट का उपयोग अनुमति करने के लिए सेनेवेट क्रेडिट नियमावली, 2010 में प्रावधान था। टीआरयू के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि कांटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी) के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) की विशेषताओं द्वारा आयातित कोयले पर सीईसी उगाही योग्य होगा। इस प्रकार, उल्लिखित प्रावधानों और एफपीएस के माध्यम से अदा किया गया। सीवीडी सेनेवेट योग्य है, आयातित कोयले पर सीईसी का भुगतान भी नकद किया जाना है।

सीमाशुल्क भवन, कांदला में लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान दो निर्यातकों मै. वेल्सपन इंडिया लिमिटेड और मै.

बीजीएच एक्जिम लिमिटेड ने 13 परेषणों के माध्यम से कोयला आयात किया। यह देखा गया कि आयातकों द्वारा एफपीएस अनुज्ञासियों के शुल्क क्रेडिट का उपयोग करते हुए सीमाशुल्क का भुगतान किया था। हालांकि सीमाशुल्क डेबिट करते समय अनुज्ञासि से ₹ 30 लाख की सीईसी भी डेबिट की गई थी जबकि इसका नकद भुगतान किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.62 लाख के सीईसी के भुगतान हेतु एफपीएस अनुज्ञाप्ति का उपयोग करने की गलत छूट दी गई (परिशिष्ट 18)।

सीमाशुल्क प्राधिकारी, कांदला ने अक्टूबर 2013 में फर्मों को वसूली नोटिस जारी किया।

2.4.18 ब्याज के भुगतान हेतु शुल्क क्रेडिट का उपयोग करने की गलत अनुमति

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 4.28(ii) एवं (v) के साथ पठित एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.11 के अनुसार अध्याय-3 के तहत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का सीमाशुल्क के भुगतान के प्रति भी प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है यदि एफटीपी के अध्याय 4 और 5 के अंतर्गत जारी अनुज्ञासियों के तहत निर्यात दायित्वों में चूक होती है। हालांकि जुर्माना/ब्याज का नकद भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि आरए अहमदाबाद में मै. सेंडविक एशिया प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 46.63 लाख के शुल्क क्रेडिट सहित एमएनएफपीएस शुल्क स्क्रिप सं. 810103738 दिनांक 29 सितम्बर 2011 को जारी किया गया था। 23 सितम्बर 2011 से 08 अगस्त 12 के बीच उपरोक्त अनुज्ञासि को जारी छः संशोधन पत्रों के अनुसार हमने देखा कि निर्यातक ने पांच अग्रिम अनुज्ञासियों में चूक किया और इस चूक पर सीमाशुल्क/ब्याज देय था। आरए ने सीमाशुल्क का भुगतान एफपीएस अनुज्ञासि द्वारा अनुमति किया हालांकि, ब्याज वाला भाग भी जिसका नगद भुगतान किया जाना था, एफपीएस अनुज्ञासि में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट से डेबिट किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.36 लाख की सीमा तक एफपीएस अनुज्ञासि का उपयोग करने की गलत अनुमति दी गई। आरए, अहमदाबाद ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और वसूली पत्र जारी किए।

2.4.19 बाजार से जुड़ी केन्द्रित उत्पाद योजना सहित केन्द्रित उत्पाद योजना पर निष्कर्ष

13 आरएज में एफपीएस की लेखापरीक्षा से शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्रों और उनके समुचित उपयोग के मुद्दों से संबंधित परिचालन के साथ साथ प्रणालीगत

खामियों का पता चला। मुख्यतः मैं यह दस्तावेजों की अपर्याप्त संवीक्षा, अयोग्य माल पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी, गलत दर लगाने, माल के विवादित वर्गीकरण/विवरण के मामले मैं अन्य एजेंसियों के साथ कमज़ोर सलाह, अपर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी और मामलों की अपर्याप्त मॉनीटरिंग जहाँ पूर्व वसूली आधार पर अनुज्ञासि जारी किए गए थे, से संबंधित हैं। उपरोक्त कमियों से उद्देश्य और लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जिसके लिए विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना बनाई गई थी।

2.5 विशेष कृषि एवं ग्रामउद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) इत्यादि

निर्धारण अधिकारी, चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालय ने वेयरहाऊस में रखे गए माल की देरी से मंजूरी पर ब्याज की वसूली नहीं की।

अधिसूचना संख्या 18/2003 सीमाशुल्क (एनटी) दिनांक 1 मार्च 2003 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 की उपधारा 2(ii) के अनुसार, शुल्क के भुगतान की तिथि तक नब्बे दिनों की समाप्ति की अवधि हेतु वेयरहाऊस में रखे गए मालों की मंजूरी के समय निर्धारित शुल्क पर 15 प्रतिशत पर ब्याज देय होगा।

उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 26/2007 सीमाशुल्क दिनांक 20 जुलाई 2007 में स्पष्ट किया कि शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) स्क्रिप के अन्तर्गत डेबिट करके शुल्क के भुगतान पर मंजूर वेयरहाऊस के संबंध में भी डेबिट किए गए ऐसे शुल्क पर ब्याज प्रभार्य होगा जहाँ तक सेनेट क्रेडिट के समय शुल्क का नकद भुगतान किया गया हो अथवा शुल्क ड्राबेक समान रूप से उपलब्ध हो उस माल के सममूल्य पर डीईपीबी स्क्रिप के तहत सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क डेबिट किया जाता है जहाँ शुल्क का नगद भुगतान किया गया था।

2.5.1 मै. अशोक लीलैंड लिमिटेड, और कई अन्य ने डीईपीबी सहित विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप डेबिट करते हुए सीमाशुल्क के भुगतान पर निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालयों के माध्यम से वेयरहाऊस में रखे गए मालों के 188 परेषणों की मंजूरी दी (फरवरी से नवम्बर 2011)। हालांकि विलम्बित मंजूरी हेतु वेयरहाऊसिंग ब्याज का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.54 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालय ने 58 खेपों में ₹ 22.12 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2013)। बाकी परेषणों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

क्षेत्रीय लाइसिंग प्राधिकारी कोलकाता ने स्क्रिप से गलत सीमाशुल्क डेबिट किया जिससे लाइसेंसधारी को ₹ 10.67 लाख तक को लाभ हुआ।

2.5.2 एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.5 के अनुसार, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के अध्याय 3(प्रोत्साहन उपायों) के तहत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (लाइसेंसेज) जैसे सर्वड फ्राम इंडिया स्क्रीम (एसएफआईएस) विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) केन्द्रीय बाजार योजना (एफएमएस) केन्द्रित उत्पाद योजना (एफपीएस) बाजार से जुड़ी केन्द्रित उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) और स्टेट्स होल्डर्स प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) किसी मुक्त आयातयोग्य माल और पूंजीगत मालों के आयात हेतु प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि पद्धतियों की हस्तपुस्तिका (एचबीपी) भाग 1 के परिशिष्ट 37 बी में सूचीबद्ध मर्दों के आयात पर शुल्क ऐसे लाइसेंसों से डेबिट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मै. जजोदिया एक्सपोर्स, कोलकाता और तीन अन्य में सीमाशुल्क भवन, कोलकाता पत्तन आयुक्तालय के माध्यम से विशेष रूप से कृषि सिंचाई के लिए 'वाटरपम्प सेट्स /हार्वेस्टर्स /थ्रेसर्स का आयात किया था जिस पर वीकेजीयूवाई/एफपीएस लाइसेंसों के प्रति डेबिट द्वारा 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमाशुल्क आवयव को छोड़कर पूरे सीमाशुल्क का भुगतान किया गया था, सभी एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी किए गए।

हालांकि, चूंकि सिंचाई पम्प/हार्वेस्टर्स/ट्रैक्टर्स/थ्रेसर्स को उल्लिखित परिशिष्ट 37 बी में शामिल किया गया है, वे एफटीपी के अध्याय 3 के तहत जारी किसी भी स्क्रिप्स के प्रति निर्यात शुल्क डेबिट करने हेतु योग्य नहीं हैं। तदनुसार वीकेजीयूवाई/एफपीएस लाइसेंसों के प्रति सीमाशुल्क का डेबिट गलत था। इसके कारण ब्याज सहित ₹ 2.10 करोड़ राशि के सीमा शुल्क की वसूली नहीं हुई जो वसूली योग्य है।

सहायक आयुक्त (आंतरिक लेखपरीक्षा विभाग) कोलकाता ने बताया (जून 2013) कि मै. जजोदिया एक्पोर्ट्स, कोलकाता को मांग नोटिस जारी कर दिया है। अन्य आयातकों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।